कार्यालय नगर परिषद, मधेपुरा।

पत्रांक 94 / ४५५

प्रेषक :–

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
महालेखाकार कार्यालय,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, तिथि 30 जनवरी 2019

विषय :– नगर परिषद्, मधेपुरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 530/2014–2015 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– नगर विकास विभाग के पत्रांक 1981, न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 28.12.17

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि महालेखाकार (ले0प0) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 530/2014–2015 वर्ष– 2008–2009 से 2012–13 तक का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन सशक्त स्थायी समिति की पारित प्रस्ताव सं0 03 के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक 94 /न0 प0, मधेपुरा, तिथि 30/01/2019 /

प्रतिलिपि : विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

आज दिनांक 30.11.2018 को दिन ~~गुरुवार~~ शुक्रवार के 1:00 बजे अपराह्न में श्रीमति सुधा देवी, माननीय मुख्य पार्षद, नगर परिषद, मधेपुरा की अध्यक्षता में सशक्त स्थाई समिति की बैठक आहुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1) श्रीमति सुधा देवी - मुख्य पार्षद - Sudha Kumari 30.11.18

2) श्री अशोक कुमार यादव - उपमुख्य पार्षद - Ashok Kumar Yadav 30.11.2018

3) श्रीमति रतन देवी - पार्षद-सह-सदस्य - रतन देवी 30.11.18

4) श्रीमति रेखा देवी - पार्षद-सह-सदस्य - रेखा देवी 30-11-2018

5) श्री गौनर सूत्रविदव - पार्षद-सह-सदस्य - गौनर

प्रस्ताव सं0 - 01

गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया जिसकी सम्पुष्टि सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव सं0 - 02

बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उप-विधि - 2018 को नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा अंगीकृत करने के संबंध में :-

बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उप-विधि - 2018 को पढ़कर सभी माननीय सदस्यों को सुनाया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम - 2007 की धारा - 422 की उपधारा (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसे नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा अंगीकृत करने का निर्णय सर्व सम्मति से ली गयी। इस उपविधि मॉडल को अब नगर परिषद, मधेपुरा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि - 2018 कही जायेगी

प्रस्ताव सं0 - 03

विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2020 दि0 - 04.09.2018 से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 - 146/08-09

DATE

एवं 530/2014-15 का कंडिकावार तैयार अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तैयार दोनों अंकेक्षण प्रतिवेदन की स्वीकृति दी जाती है। अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना एवं विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब भेजा जाय।

अतः अन्त में धन्यवाद के साथ आज के बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Sudha Kumari
30.11.18
मुख्य पार्षद
नगर परिषद, मखदुमपुर।

Attested
[signature] 30/11/18

कार्यालय नगर परिषद्, मधेपुरा।

नगर परिषद्, मधेपुरा का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 530/2014–2015 का अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका संख्या	अंकेक्षण प्रतिवेदन का कंडिकावार	अनुपालन	अभियुक्ति
06	कोषागार पासबुक पर कोषागार अधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं था इसे हस्ताक्षरित करवा कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।	कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा से हस्ताक्षरित करा लिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।	
07	सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। सरकारी अनुदान पंजी का संधारण कर राशि रू0 248420313. 00/–उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।	सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया जाता है कि वित्तीय वर्ष –2008–09 से 2012–13 तक में कुल प्राप्त राशि मो0– 248420313.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में समर्पित किया जा चुका है। विभाग द्वारा सामांजित उपयोगिता प्रमाण की सूची की छाया प्रति संलग्न।	
8 (i)	बी0 आर0 जी0 एफ रोकड़ बही 2008–09 से 2012–13 तक राशि –20651567.00 शेष थी। अतः राशि यथाशीघ्र व्यय किया जाय एवं वस्तु स्थिति से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।	अंकेक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्ति के आलोक में स्पष्ट करना है कि BRGF मद मे वर्षवार राशि की खर्च कर दी गई है। तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेज दिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखला दिया जाएगा।	
(ii)	XII एवं XIII वित्त आयोग की रोकड़ वही का संधारण एक साथ ही है। अतः अलग–अलग आय–व्यय की स्थिति नही निकाली जा सकती है।	XII एवं XIII वित्त आयोग मद में बची अवशेष राशि का व्यय कर दिया गया है।	
09	राशि को ग्रामीण बैंक में रखना		
10	कम जमा/ नहीं जमा रू0–1205980.00/– फार्म एच0 एवं एम0 रसीदों में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारीयों /वसूलीकर्त्ताओं (परिसिस्ट IV पर) द्वारा वसूली कर जमा कर चलान प्रस्तुत किया जाए।	(i) श्री गिरिश कुमार सिंह सेवानिवृत करसंग्रहकर्त्ता से बकाया राशि 45,794=00 उनके बकाया वेतन से कटौती कर नगर परिषद निधि में जमा कर दिया गया है। छाया प्रति संलग्न (ii) सचिदानन्द यादव से बकाया	

		राशि 12,95=00 रू0 नगर परिषद निधि में जमा कर दिया गया। छाया प्रति संलग्न (iii) दीपक कुमार से बकाया राशि 22,00=00 रू0 नगर परिषद निधि में जमा कर दिया गया। छाया प्रति संलग्न (iv) मो0 सलाम से बकाया राशि 5,000=00 रू0 नगर परिषद निधि में जमा कर दिया गया। छाया प्रति संलग्न (v) श्री जगरनाथ प्र0 यादव सेवानिवृत करसंग्रहकर्त्ता से बकाया राशि 8,78,637=00 रू0 नगर परिषद निधि में जमा कर दिया गया। छाया प्रति संलग्न। (vi) दीपक कुमार नाजिर से Cash in hand के रूप में दिखाये गये राशि 70,230=00 नगर परिषद निधि में जमा है। छाया प्रति संलग्न ।	
11	भंडार पंजी के संधारण में अनियमितता एवं रशीद भंडार में प्रा0 शेष का सार नहीं बनाया गया है कि कितने रसीद बुक अभी कार्यालय में शेष है। एच0 रशीद 7401–7500 राधा प्रसाद साह द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।	एच0 रसीद 7401–7500 के भंडार पंजी में हस्ताक्षर छुट जाने के कारण उसे करा लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है।(छाया प्रति) संलग्न	
12 (i)	सैरातों की बन्दोबंस्ती से सम्बन्धित संचिका के अवलोकन से पता चला कि नगर परिषद मधेपुरा के पास आठ (8) सैरात थे। वर्ष 2008–2009 में गुदरी हाट की बन्दोबस्ती भी कैलाश यादव के साथ हुआ था। गुदरी हाट की शेष राशि 49751/– अंकेक्षण समाप्ति तक वसूली नहीं हुआ था उक्त राशि को	बकाया राशि मो0– 49751/– रू0 की बसूली हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–99 दिनांक– 24.02.2019 एवं 158 दिनांक– 17.03.2009 से बन्दोवस्तदार को सूचना दी गई थी। परन्तु वर्ष– 2008–09 में भीषण बाढ आने के कारण मधेपुरा जिला को राष्ट्रीय आपदा धोषित किया गया था। जिसके तहद बन्दोबस्तदार द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में नगर परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक– 09.09.2009 के अन्यान्य प्रस्ताव	

	वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा किया जाए।	सं0–05 में निर्णय लिया गया कि श्री कैलाश यादव बन्दोस्तदार को 49751/– रू0 माफ किया जाता है। (छाया प्रति संलग्न) अतः अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
12(2)	2008–09 के वाद के किसी भी सैरातों की संचिका अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह पता नहीं चल सका कि सैरातों की बन्दोवस्ती हुई या नहीं। अतः 2008–09 का आधर मानते हुए राशि –536004/– की हानि नगर परिषद को हुई है। .... .वह सम्बन्धित एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूलनीय है।	वित्तीय वर्ष 2008–09 के बाद से सैरात की बन्दोवस्ती बन्द हो चुकी है। सभी सैरातो का नाम सैरात सूची से विमुक्त कर दिया गया है। जैसे गुदरी हाट, अड़गड़ा, रिक्श,ढेला, बैलगाड़ी टमटम, लदना घोड़ा एवं शौचालय (तीन)	
13	हाई मास्क लाईट में अनियमित भुगतान का राशि–43.45 लाख रू0 मात्र का भुगतान ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं बी0 आर0 जी0 एफ0 मद से खरीद की गई है। जो XIIFC एवं BRGF मद से खरीदगी की अनुमति नहीं देता है। अतः दिशा निदेश के विरूद्व व्यय की राशि 43.45 लाख रू0 अनियमित व्यय मानी जाती है। अतः 43.45 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधिन रखी जाती है।	नगर परिषद मधेपुरा क्षेत्रान्तर्गत 44 हाई मास्क लाईट लगाने का प्रस्ताव नगर परिषद बोर्ड के द्वारा पारित होने के फलस्वरूप 21 हाई मास्क लाईट लगाया गया। बी0 आर0 जी0 एफ0 मद में स्वीकृति राशि से हाई मास्क लाईट लगाने की स्वीकृति प्राप्त थी एवं XIIFC मद से व्यय करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा दिया गया। (छाया प्रति संलग्न) जिसका अभिश्रव कार्यालय में संधारित है। अतः अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
14	डी0 पी0 आर बनाने पर 19. 00 लाख रू0 मात्र भुगतान अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।	डी0 पी0 आर0 पर भुगतान 19.00 लाखा रू0 डी0 पी0 आर0 बनाने के लिये दिया गया था जिसे डी0 पी0 आर0 बनाकर प्रस्तुत किया और इसका भुगतान आपत्ति के अन्तर्गत दी गई चेक एवं राशि से समायोजित कर लिया गया। इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।	
15	श्री विश्वनाथ प्रसाद महतो की अनियमित भुगतान रू0 0.60 लाख रू0 मात्र अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।	दिनांकः– 02.07.2004 को नगर परिषद् की सामान्य बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यों की अधिकता एवं कर्मियों की कमी के कारण कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु श्री विश्वनाथ प्रसाद महतो जो समाहरणालय मधेपुरा से वरीय	

		प्रधान सहायक – सह – लेखापाल के पद से सेवानिवृत होने के पश्चात इन्हें न0 प0 के कार्यों के देखमाल करने हेतु इनकी नियुक्ति 5000/– रू0 प्रतिमाह के दर से निर्धारित मानदेय पर की गई थी। योगदान की तिथि 05.07.2004 से फरवरी 2009 तक इन्हे मानदेय के रूप में रू0 6,00,000/– लाख भुगतान किया गया है। इनकी नियुक्ति विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नहीं किया गया था और न ही सरकार से स्वीकृत पद पर ऐसी स्थिति में उन्हे वरीयता के आधार पर विशेष कार्य पदाधिकारी का पदनाम देकर कार्य का निष्पादन कराया जा रहा था। ज्ञातव्य हो कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस आश्य की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग से आदेश की प्रत्याथा में की गई थी।	
16	विभिन्न कर्मचारी को भुगतान की गई 16.88 लाख रू0 मात्र अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।	उपादान (ग्रेज्यूटी) की राशि 19.88 लाख रू0 विभिन्न कर्मचारियों को भुगतान किया गया है कि सेवा पुस्त एंव अन्य दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध है। जिसे अगले अंकेक्षणा दल को दिखला दिया जाएगा।	
17	बाढ राहत अग्रिम 7.08 करोड़ अविलम्ब बॉटकर समायोजन किया जाएगा।	अंकेक्षण दल द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक मो0 70794416/–रू0 आपत्ति दर्ज की गई है कि बाढ राहत राशि अविलम्ब बॉटकर समायोजन किया जाना था। उपर्युक्त राशि में से मो0 30550410/– रू0 का समायोजन कर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। शेष 40244006/– रू0 का अभिश्रव पारित कर दी गई अग्रिम का समायोजन कर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार को भेजने हेतु लम्बित है। जिसे जल्द ही भेज दी जाएगी तथा अगले अंकेक्षण दल को दिखला दिया जाएगा। सुलभ संकेत हेतु जमा की गई डी0 सी0 विपत्र की एवं चालान की छाया प्रति संलग्न है।	

30/01/19

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मधेपुरा।